

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9517/2023

=====

अमरजीत यादव, पुत्र ब्रज किशोर यादव, गाँव-मंगलपुर, पोस्ट-श्यामपुर, थाना-मुहम्मदपुर,
जिला-गोपालगंज।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. अतिरिक्त बिहार राज्य द्वारा मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
2. आबकारी आयुक्त, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. समाहर्ता-सह-जिलाअधिकारी, गोपालगंज।
4. अनुमंडलीय दंडाधिकारी, गोपालगंज।
5. पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज।
6. आबकारी अधीक्षक, गोपालगंज।
7. प्रभारी अधिकारी, कुचायकोट थाना, जिला-गोपालगंज।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016-धारा 30(क), 56(1), 32,47,56,57 ख, 58,61,92,93,95-बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021-आरआर। 12-ए, 13-ए-याचिकाकर्ता का वाहन जब्त किया गया-अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी अपराध में शामिल हुए किसी भी वाहन को जब्त या कुर्क नहीं किया जा सकता है-उसकी जब्ती और कुर्की के लिए अवैध शराब/मादक पदार्थ के परिवहन में वाहन का उपयोग अनिवार्य है। मादक पदार्थ या शराब ले जाने के लिए वाहन का उपयोग भी इसकी जब्ती और कुर्की के लिए पर्याप्त नहीं है-वाहन के इस तरह के अवैध उपयोग में वाहन के मालिक की संलिप्तता या मिलीभगत भी वाहन को जब्त करने या वाहन को छोड़ने के लिए कोई जुर्माना लगाने के लिए अनिवार्य है-जहां वाहन चोरी हो गया है अपराधी द्वारा मादक पदार्थ या शराब ले जाने के लिए लूट लिया गया है-वाहन के मालिक को, वाहन जब्त कर और कुर्क करके दंडित नहीं किया जा सकता है-जब तक कि वाहन का मालिक मामले में आरोपी न हो, अदालत यह नहीं मान सकती है कि वाहन का मालिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाहन के निषिद्ध उपयोग में शामिल है-यह पुलिस का मामला नहीं है कि अवैध शराब को वाहन के किसी भी हिस्से में रखा या छिपाया गया था-यह कहना गलत होगा कि वाहन का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने के लिए किया गया था- उपयोग शब्द की व्याख्या उदारता से विस्तृत अर्थ देते हुए नहीं की जा सकती है-बल्कि इसकी व्याख्या सख्ती से जानी चाहिए। याचिकाकर्ता/मालिक आरोपी नहीं है और यह पहले ही माना जा चुका है कि उसके प्रश्नगत वाहन का अवैध शराब ले जाने में उपयोग नहीं किया गया है-अधिनियम, 2016 के तहत वाहन को जब्त करने और कुर्क करने के लिए दो पूर्व शर्तें (i) शराब या मादक पदार्थ ले जाने/परिवहन में वाहन का उपयोग-(ii) अपराध करने में वाहन के मालिक की सहमति या मिलीभगत, पूरी नहीं होती है-अवैध शराब के अवैध कब्जे में पाया गया व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है आक्षेपित आदेश मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित और याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए में उचित रूप से धारण करने के संवैधानिक अधिकार भी उल्लंघन करता है-प्रश्नगत वाहन की जब्ती और कुर्की बिना किसी कानूनी अधिकार के है। जब्ती आदेश को रद्द कर दिया गया-जिला समाहर्ता को वाहन को रिहा करने का निर्देश दिया गया था, और 50,000/-रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था।

(पैरा 22,23,25,28,27,29,30 और 31) 2022(6) बी.एल.जे. 540-संदर्भित

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9517/2023

=====

अमरजीत यादव, पुत्र ब्रज किशोर यादव, गाँव-मंगलपुर, पोस्ट-श्यामपुर, थाना-मुहम्मदपुर,
जिला-गोपालगंज।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. अतिरिक्त बिहार राज्य द्वारा मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
2. आबकारी आयुक्त, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. समाहर्ता-सह-जिलाअधिकारी, गोपालगंज।
4. अनुमंडलीय दंडाधिकारी, गोपालगंज।
5. पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज।
6. आबकारी अधीक्षक, गोपालगंज।
7. प्रभारी अधिकारी, कुचायकोट थाना, जिला-गोपालगंज।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्ताओं के लिए :- श्री धरमवीर के अधिवक्ताः.

प्रतिवादी/प्रतिवादीओं के लिए:- श्री विकास कुमार एस सी-॥

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

(निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तिथी:- 30.01.2024

वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है: .

“इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायाधीश इस रिट आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करे लिए प्रसन्न हों, उत्तरदाताओं को मामले के अभिलेख के लिए बुलाने के लिए नोटिस जारी करें और पक्षों को सुनने के विद्वान अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा पारित 13.04.2023 के विवादित आदेश को रद्द/खारिज करने की कृपा करे और विद्वान अनुमंडलीय दंडाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अनुमंडलीय जब्ती वाद संख्या- 822/2022 (अनुलग्नक-03) में पारित आदेश दिनांकित 12.01.2023 के क्रियान्वयन को स्थगित करने की कृपा करें।

और/या

ऐसे अन्य आदेश/आदेश पारित करने की कृपा करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित हों।

और

इसके अलावा याचिकाकर्ता की जब्त/ मोटरसाइकिल पंजीयन सं. बी आर 28 जेड-8562 को इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान छोड़ने की कृपा करें ।

2. अभिलेख से सामने आने वाले प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि शैलेंद्र कुमार पप्पु की लिखित रिपोर्ट पर, 2022 का कुचायकोट थाना मामला संख्या 438 बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए पांच अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् सुनील कुमार राय, कुणाल राय, दीपक कुमार, अभिरंजन कुमार और नियम वाले स्कॉर्पियो वाहन पंजीयन सं-ए एस-89 उ-3885 के मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया था। लिखित रिपोर्ट के अनुसार, 28.09.2022 को सूचक पुलिस दल के साथ शाम की गश्त के लिए प्रस्थान किया और 18.30 घंटे पर वह गाँव-भठावा रूप पची रोड मोर के पास पहुँचा। इस बीच, अपाचे मोटरसाइकिल में दो लोग कुछ सामान के साथ बड़े झोले के साथ आते देखे गए। पुलिस दल को देखकर, वाहन में दो व्यक्तियों के पीछे बैठे स्कॉर्पियो वाहन को रोक दिया गया और मोटरसाइकिल वापस मुड़ गई और से भागने की कोशिश किए जिसमें स्कॉर्पियो का चालक और दोनों मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया गया। स्कॉर्पियो में एक व्यक्ति पानी में कूद गया और भागने में सफल रहा। पूछताछ में स्कॉर्पियो के चालक ने उसका नाम सुनील कुमार राय और फरार व्यक्ति का नाम कुणाल राय बताया। अपाचे मोटरसाइकिल के गिरफ्तार व्यक्तियों ने अपने नाम दीपक कुमार और अभिरंजन कुमार बताए। इसके बाद, दो स्वतंत्रता गवाहों की उपस्थिति में, खोजबीन की गई, फिर रेग वाले स्कॉर्पियो वाहन पंजीयन एस-09 ए-3885 से 180 मिलीलीटर की 8 पी.एम. विदेशी शराब के कार्टून जिसमें प्रत्येक कार्टून में 48 पीस, कुल 432 टुकड़े, मात्रा 77.760 लीटर बरामद किये गए थे चालक सुनील कुमार राय से ओप्पो कंपनी का सिम संख्या 7079268233 और 8873104126 वाला एक स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया गया। फिर अपाचे मोटरसाइकिल पंजीयन सं.-बी.आर.-28 जेड-8562 की सीट पर पड़े एक बड़े झोले में 180 मिली का 8 पी.एम. के एक कार्टून से 48 पीस मात्रा 8.640 लीटर बरामद की गई। इसके बाद जब्ती सूची तैयार की गई। आगे की पूछताछ में, गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों ने खुलासा

किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से शराब खरीदी थी और स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर लादकर इसे ले जा रहे थे।

3. इसके बाद, 2022 का जब्ती (उत्पाद शुल्क) मामला संख्या 1158 की जब्ती की कार्यवाही जिलाधिकारी सह समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा शुरू की गई थी। हालाँकि, बाद में इसे विज्ञान अनुमंडलीय दंडाधिकारी, गोपालगंज को स्थानांतरित कर दिया गया। और उसी को 2022 के जब्ती (उत्पाद शुल्क) मामले संख्या 822 के रूप में दर्ज किया गया था। विज्ञान अनुमंडलीय दंडाधिकारी गोपालगंज ने 2022 के जब्ती (उत्पाद शुल्क) मामले संख्या 822 में पारित आदेश के माध्यम से वाहन को जब्त कर लिया और कहा कि इसका उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया गया था और इसलिए, इसे बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 56 (डी) के तहत जब्त किया जाना चाहिए और वाहन को सार्वजनिक नीलामी में बेचने का भी निर्देश दिया गया और बिक्री के पैसे को राज्य कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया।

4. उपरोक्त आदेश दिनांक 12.01.2023 विज्ञान अनुमंडलीय दंडाधिकारी द्वारा, गोपालगंज 2022 के जब्ती (उत्पाद शुल्क) वाद संख्या 822 में पारित किया गया जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना के समक्ष 2023 की उत्पाद शुल्क अपील सं.- 12 में चुनौती दी गई। हालाँकि, अपीलीय सं.12 प्राधिकरण ने ज़ब्ती प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। इस अपीलीय आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा 2023 के उत्पाद शुल्क संशोधन संख्या 13 में पुनरीक्षण प्राधिकरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, पटना के समक्ष फिर से चुनौती दी गई थी। अपीलीय आदेश को भी बरकरार रखा गया और अनुमंडलीय दंडाधिकारी, गोपालगंज को अधिनियम के अनुसार ज़ब्ती की कार्यवाही में नीलामी के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षणकर्ता बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क

अधिनियम, 2016 की धारा 32 के तहत अनिवार्य धारणा का खंडन करने में विफल रहा है, इस प्रकार प्रश्नगत वाहन के मालिक के खिलाफ उठाया गया और पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि जब्त की गई शराब प्रश्नगत वाहन में कैसे पाई गई। यह भी माना गया कि चूंकि यह स्वीकार किया गया है कि कुल 864 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई थी, इसलिए पुलिस ने अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मुकदमा चलाया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब्ती और सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही की सिफारिश करने में सही थी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश को जब्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा कानून के किसी भी अधिकार के बिना और संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी वाहन की जब्ती और जब्ती के लिए, वाहन का उपयोग वाहन के मालिक की भागीदारी के साथ अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिनियम की धारा 56, 57 बी और 58 और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम 2021 के नियम 12 ए और नियम 13 ए का उल्लेख किया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले में ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में रखे थैले से 8.64 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी। यह डिक्की या मोटरसाइकिल के किसी भी हिस्से से बरामद नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में, यह कहना प्रत्यर्थियों के लिए उचित नहीं है कि मोटरसाइकिल का उपयोग आरोपी द्वारा शराब के अवैध कब्जे में किया गया था या मोटरसाइकिल का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने के लिए किया गया था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वाहन का मालिक, जो इसमें याचिकाकर्ता है, भी कथित अपराध में शामिल नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के

मामले के अनुसार, वह न तो मोटरसाइकिल चला रहा था और न ही मोटरसाइकिल पर बैठा था। इस प्रकार, अधिकारियों द्वारा बिना किसी कानून के अधिकार के वाहन को जब्त कर लिया गया है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रश्नगत वाहन को जब्त किया जा सकता है।

8. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतिकरण प्रश्नगत रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए कानूनी प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन वाहन बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत जब्त किये जाने के उत्तरदायी है।

9. इससे पहले कि हम पक्षों के प्रतिद्वंद्वी निवेदन पर विचार करें, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और मामले के कानूनों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा:-

10. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 32, 47, 56, 57बी, 58, 60, 61, 92, 93, 95 और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान हैं।

11. धारा 32 कुछ मामलों में अपराध के अनुमान से संबंधित है। यह इस प्रकार है:

"32. कुछ मामलों में अपराध करने के बारे में अनुमान:-

(1) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियोजन में, आरोपी व्यक्ति को ऐसी शराब के निर्माण या भंडारण में शामिल किसी भी शराब, मादक पदार्थ, सामग्री, बर्तन, उपकरण या उपकरण के होने का हिसाब देना होगा।

(2) संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफलता की स्थिति में, यह धारणा होगी कि अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

(3) जहां इस अधिनियम के तहत अपराध करने में किसी भी उपकरण, मशीनरी, पशु, पोत, गाड़ी, वाहन, परिवहन या किसी भी परिसर का उपयोग किया जाता है, और वे जब्त किए जाने और/या सील किए जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उसके मालिक या कब्जाधारक को संतोषजनक रूप से जवाब देना होगा, और संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में यह धारणा उत्पन्न होगी कि आरोपी व्यक्ति ने अपराध किया है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

12. धारा 47 उस व्यक्ति के दायित्व का प्रावधान करती है जो वाहन के नियंत्रण में है, जानबूझकर इसे आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने लिए अनुमति देता है, उसी तरह से दंडनीय है जैसे कि उसने स्वयं उक्त अपराध किया हो। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“47. अपराध करने के लिए परिसर आदि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड:- चाहे कोई भी हो इस अधिनियम के तहत या अन्यथा, और किसी भी घर, कमरे, बाड़े, स्थान, पशु या वाहन का नियंत्रण या उपयोग करने वाला, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है, उसी तरह से दंडनीय होगा जैसे कि उसने स्वयं उक्त अपराध किया था।

13. अधिनियम की धारा 56 में जब्त किए गए वाहनों के साथ-साथ अन्य जब्त की गई वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“56. जब्त की गई वस्तुओं की जब्ती:- इसके बावजूद कि धारा 57बी में निहित कुछ भी हो, जब भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया जाता है, तो समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी वस्तुओं को जब्त कर सकता है।

(2) ऐसी वस्तुओं में शामिल हो सकते हैं-

- (i) कोई भी परिसर या उसका हिस्सा;
- (ii) कोई पशु, वाहन, पात्र या वाहन;
- (iii) कोई शराब या मादक पदार्थ;
- (iv) मामले से संबंधित कोई अन्य वस्तु;

बशर्ते, जहां धारा 57 में उल्लिखित चीजों को नष्ट किया जाना है, तो समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को उन्हें नष्ट करने से पहले उसे जब्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) राज्य सरकार तलाशी, जब्ती, विनाश और जब्ती के तरीके और तरीके के संबंध में आवश्यक निर्देश, दिशानिर्देश, विनियम और निर्देश जारी कर सकती है।

14. 2022 में संशोधन के माध्यम से धारा 57बी को शामिल किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध कारित करने के लिए किसी वाहन उपयोग किए जाने पर और किसी भी पुलिस अधिकारी या उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा जब्त किए जाने पर समाहर्ता द्वारा ऐसे जुर्माने के भुगतान पर रिहा किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। इस खंड को इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“57B. जुर्माने का भुगतान करने पर जारी की जाने वाली वस्तुएँ या परिसर:-

(1) इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहन जिसे किसी भी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया है, समाहर्ता द्वारा ऐसे जुर्माने के भुगतान पर रिहा किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए उपयोग किए गए किसी भी परिसर या उसके हिस्से को, जिसे किसी भी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया है, समाहर्ता द्वारा ऐसे जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(3) यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, तो समाहर्ता धारा-58 के अनुसार उक्त पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहन और परिसर को जब्त करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा ।

स्पष्टीकरण 1.- अभियुक्त का यह अधिकार नहीं होगा कि वह आवश्यक जुर्माने के भुगतान पर अपने वाहन, वस्तु या परिसर को छोड़ दे। समाहर्ता, एक पुलिस अधिकारी या एक आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए, अभी भी उक्त वाहन, वस्तु या परिसर को जारी करने से इनकार कर सकता है और जब्ती और नीलामी/विनाश के साथ आगे की कार्रवाई कर सकता है।

स्पष्टीकरण 2.- समाहर्ता, इस संशोधन के लागू होने की तारीख से, चल रही जब्ती की कार्यवाही को बंद कर देगा यदि संबंधित व्यक्ति अधिसूचित रूप से जुर्माना देता है और ऐसे वाहन, वाहन या परिसर को छोड़ देता है।

स्पष्टीकरण 3.-इस तरह की रिहाई विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम, यदि कोई हो, को प्रभावित नहीं करेगी।

(जोर दिया गया)

15. अधिनियम की धारा 58 में जिला समाहर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वाहन या परिवहन और अन्य चीजों को जब्त करने की प्रक्रिया और शर्तों का प्रावधान है। धारा 58 की उप-धारा 1 के अनुसार, वाहन को जब्त करने वाले अधिकारी को बिना किसी उचित देरी के जिला समाहर्ता को रिपोर्ट करना आवश्यक है और उप-धारा 2 के अनुसार यदि समाहर्ता संतुष्ट है, तो रिपोर्ट के अनुसार, कि इस अधिनियम के तहत एक अपराध किया गया है, तो वह वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत है, लेकिन, उप-धारा 3 के अनुसार, सुनवाई के लिए संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर देने के बाद ही। धारा 58 इस प्रकार है:

“58. जिला समाहर्ता द्वारा जब्ती:- (1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी कुछ भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त या हिरासत में लिया जाता है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने और हिरासत में लेने वाला अधिकारी बिना किसी उचित देरी के जिला समाहर्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिनके पास उक्त क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है।

(2) उप-धारा (1) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिला समाहर्ता यदि संतुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, तो, चाहे ऐसा अपराध करने के लिए अभियोजन शुरू किया गया हो या नहीं और चाहे कोई मामला किसी अदालत के समक्ष लंबित हो या नहीं, ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है।

(3) समाहर्ता, उप-धारा (2) के तहत आदेश पारित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(4) उप-धारा (2) के तहत ज़ब्त करने का आदेश देते समय, जिला समाहर्ता यह भी आदेश दे सकता है कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें ज़ब्त करने का आदेश संबंधित है, जिन्हें उसकी राय में संरक्षित नहीं किया जा सकता है या जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। जब भी किसी ज़ब्त की गई वस्तु को इन प्रावधानों के अनुरूप नष्ट करना पड़ता है, तो उसे ज़ब्त करने या ज़ब्त करने का आदेश देने वाले कार्यकारी दंडाधिकारी या अधिकारी की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, या उप-निरीक्षक के पद से नीचे के आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा;

(5) उप-धारा (2) के तहत ज़ब्त करने का आदेश देते समय, यदि जिला समाहर्ता की राय है कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, तो वह उक्त संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बेचने का या विभागीय रूप निपटान करने का और आय को राज्य सरकार के पास करने का आदेश दे सकता है।

(6) जिला समाहर्ता इस तरह की जब्ती के एक महीने के भीतर आबकारी आयुक्त को जब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

(जोर दिया गया)

16. धारा 61 में प्रावधान है कि जब बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 58 के तहत किसी भी संपत्ति, जिसमें वाहन भी शामिल है, को ज़ब्त करने का आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश अंतिम हो गया है, तो संपत्ति राज्य सरकार में किसी भी बोझ से मुक्त हो जाती है। धारा 61 को इस प्रकार पढ़ा जाता है ।

“61. समाहर्ता के पास निहित करने के लिए जब्त की गई वस्तुएँ:- जब धारा 58 के तहत किसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश ऐसी संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में अंतिम हो गया है, तो ऐसी संपत्ति या उसका हिस्सा, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार के पास किसी भी दायित्व से मुक्त होते हुए निहित होगा ।

17. धारा 92 अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ विभागीय अपील का प्रावधान करती है। जिला समाहर्ता से कम रैंक के आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश 60 दिनों के भीतर जिला समाहर्ता के समक्ष को अपील योग्य है, जिला समाहर्ता द्वारा पारित आदेश आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील योग्य है और आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील योग्य है। हालांकि, आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील प्रदान नहीं की गई है। धारा 92 को इस प्रकार पढ़ा जाता है ।

“92. अपील - (1) इस अधिनियम के तहत आबकारी आयुक्त या समाहर्ता के अलावा किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर समाहर्ता के समक्ष को अपील करने योग्य होंगे।

(2) समाहर्ता और आबकारी आयुक्त द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश शिकायत किए गए आदेश की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर क्रमशः आबकारी आयुक्त और राज्य सरकार के समक्ष अपील करने योग्य होंगे। बशर्ते कि अपील पर आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी।

(3) राज्य सरकार इस संबंध में नियम बना सकती है।

18. धारा 93 विभागीय पुनरीक्षण का प्रावधान करती है। पुनरीक्षण की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। धारा 93 इस प्रकार है: .

“93. पुनरीक्षण:- राज्य सरकार, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी आदेश की शुद्धता और वैधता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसी भी आबकारी अधिकारी या किसी दस्तावेज के समक्ष किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच कर सकती है, जिसमें इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण या इनकार या परमिट, पास आदि से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, और ऐसी किसी भी कार्यवाही की नियमितता के बारे में और ऐसे अभिलेख की मांग करते समय, निर्देश दे सकती है कि आदेश को अभिलेख की जांच के लंबित होने तक प्रभावी नहीं किया जाए, जिसके लिए कहा गया है। अभिलेख की जांच करने के बाद, राज्य सरकार ऐसे आदेश को निरस्त, उलट, संशोधित या पुष्टि कर सकती है, या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे।

19. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की **धारा 95** के तहत, बिहार सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 बिहार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 95 के तहत बनाए गए हैं। नियम 12 ए, जैसा कि 2022 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जुर्माने के भुगतान पर वाहन, वाहन आदि को छोड़ने का प्रावधान करता है। यह नियम इस प्रकार है:

“12 ए. जुर्माने का भुगतान करने पर वाहनों, परिवहन आदि का विमोचन:- (1) यदि अधिनियम के तहत किसी पुलिस या आबकारी अधिकारी द्वारा कोई वाहन, वाहन, पोत, पशु आदि जब्त किया गया है, तो अधिनियम की धारा 57 बी (1) के संदर्भ में, समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, उक्त वाहन या वाहन आदि के मालिक

द्वारा फॉर्म IV में आवेदन प्राप्त होने पर, समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आदेशित जुर्माने के भुगतान पर उक्त वाहन या वाहन को मुक्त कर सकता है।

बशर्ते, जहां यह पता लगाना संभव नहीं है कि वाहन का मालिक या मालिक वाहन का दावा करने नहीं आ रहा है, वहां समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जब्ती की तारीख से 15 दिनों तक इंतजार करने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहन को जब्त करने और नीलाम करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

(2) जुर्माने की राशि समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। जुर्माना लगाते समय, उसे बरामद मादक पदार्थ की मात्रा, वाहन के मालिक की भागीदारी और वाहन के नवीनतम बीमा मूल्य को ध्यान में रखना होगा। किसी भी मामले में जुर्माना वाहन के बीमित मूल्य के 10 प्रतिशत से कम और एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 लाख बीमित मूल्य बीमा कंपनी द्वारा मूल्यांकन किए गए वाहन का मूल्य है। जहां बीमित मूल्य उपलब्ध नहीं है या समाहर्ता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि वाहन का मूल्य कम है, तो वह जिला परिवहन अधिकारी से मूल्यांकन कराएगा। किसी भी मामले में, समाहर्ता जब्ती की तारीख से 15 दिनों से अधिक इंतजार नहीं करेगा और यदि इस अवधि के दौरान, आरोपी/मालिक जुर्माना नहीं देता है, तो वह जब्ती/नीलामी के साथ आगे की कार्रवाई करेगा।

(3) उपरोक्त के बावजूद, यदि पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर, समाहर्ता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि वाहन या वाहन को छोड़ना सार्वजनिक हित में नहीं होगा, तो वह उक्त वाहन या वाहन को जब्त करने और उसके बाद की नीलामी/निपटान के साथ आगे की कार्रवाई करेगा।

(4) जहां परिवहन ऐसा है कि इसका मूल्यांकन/बीमा संभव नहीं है, वहां समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ऐसा जुर्माना लगाएगा जो वह उचित समझे। इस तरह का जुर्माना लगाते समय, समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा का उचित ध्यान रखना होगा।

(5) इस तरह का जुर्माना, विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम, यदि कोई भी हो, की परवाह किए बिना, गैर-वापसी योग्य होगा।

(6) वाहन/परिवहन का मालिक, वाहन/परिवहन को मुक्त करने के बाद, अधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वाहन/परिवहन को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण- वाहनों की जब्ती/नीलामी के सभी लंबित/चल रहे मामलों में, समाहर्ता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी मौजूदा मालिक को उपरोक्त जुर्माने का भुगतान करने और वाहन को जारी करने का अवसर दे सकते हैं। स्वामित्व के बारे में संतुष्टि होने पर और इस तरह के जुर्माने के भुगतान पर, चल रही जब्ती/नीलामी कार्यवाही को हटा दिया जा सकता है और वाहन को मुक्त कर दिया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

20. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम 2021 का नियम 13 ए, जिसे 2022 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था में, वाहन आदि को जब्त करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। यह इस प्रकार है:-

“13A. वाहन/परिवहन इत्यादि को जब्त करने की प्रक्रिया:- (1) जहां समाहर्ता द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वाहन को जुर्माने पर नहीं छोड़ा जाना है या जहां मालिक आवश्यक जुर्माना नहीं देता है, वहां जब्ती की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

वाहन को जब्त करने का प्रस्ताव पुलिस/आबकारी अधिकारी को जब्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर समाहर्ता (या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी) को भेजा जाएगा। संबंधित अधिकारी तुरंत ज़बती की कार्यवाही शुरू करेगा।

30 दिन से अधिक की देरी के मामले में, जब्ती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो पुलिस/आबकारी अधिकारी को देरी के बारे में बताना होगा।

(2) संबंधित अधिकारी, पुलिस/आबकारी अधिकारी से किसी भी वाहन (वाहनों) या अन्य परिवहन को जब्त करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उक्त वाहन या पोत या अन्य परिवहन के मालिक को कारण बताएँ नोटिस जारी करेगा। साथ ही साथ वह जिला परिवहन अधिकारी और रसायन परीक्षक को उनकी रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिकारी द्वारा जारी किए गए इस तरह के नोटिस को समन की सेवा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू किया जाएगा। वह जिला परिवहन अधिकारी या वाहन के पंजीकरण के उद्देश्य से अधिकृत किसी भी प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और जब्ती के 30 दिनों के भीतर रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(4) अधिकारी मालिक को सुनने उचित अवसर प्रदान करेगा। जाँच/जाँच अधिकारी को भी ऐसी सुनवाई में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

(5) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर, वह व्यक्ति (व्यक्ति) जिसे वैध रूप से नोटिस दिया गया है, सुनवाई के लिए निर्धारित लगातार दो तिथियों पर कार्यवाही में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ज़ब्त करने वाला प्राधिकारी एकतरफा आदेश पारित करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

(6) अधिकारी, पक्षों को सुनने के बाद, इस संतुष्टि पर कि अधिनियम के संदर्भ में कोई अपराध किया गया है, जब्त किए गए वाहन या जहाज या परिवहन के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

(7) अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन की जब्ती की तारीख से 90 दिनों के भीतर जब्ती का आदेश पारित किया जाए।

(8) अधिनियम के प्रावधानों के तहत समाहर्ता द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत निर्धारित तरीके से अपील दायर कर सकता है।

(जोर दिया गया)

21. अधिनियम की धारा 57बी(1) के खाली पढ़ने में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय और जब्त किए गए किसी भी अपराध को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन या अन्य वाहन को जुर्माने के भुगतान पर मुक्त किया जा सकता है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 के नियम 12-ए (2) में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 57-बी के तहत जुर्माना लगाते समय संबंधित प्राधिकरण को वाहन मालिक की भागीदारी को उचित सम्मान देना आवश्यक है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 के नियम 13-ए (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 58(3) में प्रावधान है कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान वाहन के मालिक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और नियम 13 ए(6) के अनुसार, सुनवाई के बाद, यदि संबंधित अधिकारी संतुष्ट है कि अधिनियम के संदर्भ में अपराध किया गया है, तो वह वाहन के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

22. वैधानिक प्रावधानों की उपरोक्त चर्चा से जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वह यह है कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत

किसी भी अपराध में इसके उपयोग के बिना किसी भी वाहन को जब्त या बरामद नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 30 के तहत अवैध शराब या मादक पदार्थ का परिवहन एक अपराध है और इस तरह के अपराध के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, अवैध शराब/मादक पदार्थों के परिवहन में वाहन का उपयोग इसकी जब्ती और जब्ती के लिए अनिवार्य है। यह भी सामने आता है कि केवल मादक पदार्थ या शराब ले जाने के लिए वाहन का उपयोग भी इसकी जब्ती और जब्ती के लिए पर्याप्त नहीं है। वाहन के इस तरह के अवैध उपयोग में वाहन के मालिक की संलिप्तता या मिलीभगत भी वाहन को जब्त करने या वाहन को छोड़ने के लिए कोई जुर्माना लगाने के लिए अनिवार्य है। इस न्यायालय द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इस तरह के विचार लगातार व्यक्त किए गए हैं।

23. मोहम्मद बासिम अकरम बनाम बिहार राज्य [2022 (6) बी. एल. जे. 540]

में एक वाहन के चालक को वाहन के मालिक की जानकारी के बिना अपने व्यक्तिगत सेवन के लिए वाहन में कुछ मात्रा में मादक पदार्थ या शराब ले जाते हुए पाया गया, इस अदालत ने कहा कि वाहन को अवैध शराब के परिवहन में लिप्त होने का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। मामले के तथ्य ये थे कि चालक के केबिन से 8.8 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी और चालक ने स्वीकार किया था कि उसने अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिबंधित पदार्थ खरीदा था और केबिन में रखा था।

24. इसी तरह, ऐसी स्थिति हो सकती है जब किसी वाहन को अपराधी द्वारा मादक पदार्थ या शराब ले जाने के लिए चुराया या लूटा गया हो। ऐसी स्थिति में भी, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अधिनियम के तहत अपराध करने में मालिक की संलिप्तता या मिलीभगत थी। वाहन के इस तरह के अवैध उपयोग के लिए, वाहन के मालिक को वाहन को जब्त करके दंडित नहीं किया जा सकता है।

25. ऐसी स्थिति की भी संभावना है कि सार्वजनिक परिवहन में, एक यात्री वाहन के मालिक या कंडक्टर या वाहन के चालक की जानकारी के बिना अपने कपड़ों या छोटे कैरी-बैग में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा हो। ऐसी स्थिति में भी, वाहन को प्रतिबंधित पदार्थ पहुँचाने के लिए उपयोग नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, इसे जब्त और जब्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति ट्रेन में भी हो सकती है जहाँ यात्री प्रतिबंधित पदार्थ के साथ छोटा थैला ले जा रहे हों। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेन का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन के लिए किया गया था।

26. यह इंगित करना प्रासंगिक है कि वाहन के निषिद्ध उपयोग में वाहन के मालिक की संलिप्तता, उसे पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी बनाया जाता है। अपराध करने में अपने वाहन के उपयोग में अनुमति या मिलीभगत के माध्यम से उसकी अप्रत्यक्ष संलिप्तता के मामले में भी, वह अधिनियम की धारा 47 के तहत अभियुक्त होने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, जब तक वाहन का मालिक मामले में आरोपी नहीं है, तब तक अदालत यह नहीं मान सकती है कि वाहन का मालिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाहन के निषिद्ध उपयोग में शामिल है।

27. मामले पर आते हुए हम पाते हैं कि विचाराधीन मोटरसाइकिल पुलिस ने आरोप लगाया है कि 28.09.2022 पर, उसने दो लोगों को मोटरसाइकिल पर एक बड़े झोले (बैग) के साथ आते देखा जिसमें कुछ सामान था। मोटरसाइकिल रोकने के बाद, चालक और पीछे वाले सवार दोनों को पकड़ लिया गया और जिस बैग को पीछे वाले सवार ले जा रहा था, उसकी तलाशी ली गई और बैग से 8.64 लीटर शराब बरामद की गई। यह पुलिस का मामला नहीं है कि अवैध शराब को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल के किसी भी हिस्से में रखा या छुपाया गया था। ऐसी स्थिति में, यह मानना गलत होगा कि मोटरसाइकिल का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने के लिए किया गया था। "उपयोग" शब्द की व्याख्या

व्यापक अर्थ देते हुए नहीं की जा सकती है। इसकी कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि इसके दंडात्मक परिणाम हैं। यहां तक कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के उद्देश्य और योजना की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

28. इसके अलावा याचिकाकर्ता/मालिक को वाहन चलाते हुए नहीं पाया गया, न ही कथित अपराध में शामिल होने के संबंध में उसके खिलाफ कोई आरोप है क्योंकि वह मामले में आरोपी नहीं है। इसके अलावा वाहन के मालिक के खिलाफ अधिनियम की धारा 32 (3) के तहत धारणा केवल तभी उत्पन्न होती है जब मालिक एक आरोपी होता है और उसके वाहन को प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है और अन्यथा नहीं। लेकिन याचिकाकर्ता/मालिक आरोपी नहीं है और उसके प्रश्नगत वाहन का अवैध शराब ले जाने उपयोग नहीं किया गया है।

29. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत वाहन की जब्ती और जब्ती के लिए दो पूर्व शर्तें-शराब या मादक पदार्थ ले जाने/परिवहन में वाहन का उपयोग और अपराध करने में वाहन के मालिक की सहमति या मिलीभगत-पूरी नहीं होती हैं। नतीजतन, प्रश्नगत वाहन अधिनियम के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, अवैध शराब के अवैध कब्जे में पाए गए व्यक्तियों पर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

30. इसलिए विवादित आदेश मनमाना है और संविधान का अनुच्छेद 14 इस पर लागू होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 300ए में प्रदान की गई संपत्ति रखने के याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है, जो कानून के अधिकार के बिना संपत्ति के किसी भी अभाव को प्रतिबंधित करता है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम किसी भी तरह से अधिकारी को मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों में

मोटरसाइकिल को जब्त करने या जब्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। इसलिए, प्रश्नगत मोटरसाइकिल की जब्ती बिना किसी कानून के अधिकार के है। तदनुसार, जब्ती का आदेश रद्द किया जा सकता है। याचिकाकर्ता, जिसके संपत्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, वह पर्याप्त मुआवजे का हकदार है। वह जबरन मुकदमों के दौरान खर्च और उत्पीड़न के कारण मुआवजे का भी हकदार है।

31. अतः, विद्वान मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, बिहार सरकार, द्वारा 2023 के उत्पाद शुल्क संशोधन संख्या 13 में पारित, आक्षेपित आदेश दिनांकित 13.04.2023 रद्द कर दिया जाता है और जिला समाहर्ता, गोपालगंज को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत मोटरसाइकिल को तुरंत मुक्त करें। उसे मुआवजे के लिए याचिकाकर्ता को 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) देने का निर्देश दिया जाता है। मुआवजे का भुगतान आदेश की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर अवश्य किया जाना चाहिए।

32. तदनुसार याचिका की अनुमति दी जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(पी. बी. बजंथरी, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/एस.

अली/चंदन -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।